

प्रपत्र - 2
कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा

पत्रांक - DSE/GODDA/2019

दिनांक - 17.07.2019

प्रबंधक,
डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, ऊर्जानगर, ई०सी०एल०
पोस्ट - महागामा, पिन कोड नं० - 814154
जिला - गोड्डा, झारखण्ड


विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महाशय,

आपके द्वारा दिनांक 12.07.2019 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, ऊर्जानगर, ई०सी०एल०, पोस्ट - महागामा, पिन कोड नं० - 814154 जिला - गोड्डा, झारखण्ड, विद्यालय का नाम पत्र सहित की शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है -

- 1) इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
- 2) विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
- 3) विद्यालय अपनी प्रवेश कक्षा में बालक की संख्या - के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

ATTESTED BY

PRINCIPAL
D. A. V. PUBLIC SCHOOLS
URJANAGAR, ECL, GODDA

- 4) उक्त कंडिका - 3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा ।
- 5) विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैंपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा ।
- 6) विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा ।
- 7) विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।
1. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक की विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
 2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा ।
 3. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
 4. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।
 5. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।
 6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अर्हता, अधिनियम 2009 कि लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित कर लेंगे ।
 7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और

ATTESTED
PRINCIPAL
D. A. V. PUBLIC SCHOOL
URJANAGAR, ECL, GODDA

8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
9. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्धियों को बनाए रखेगा ।
11. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं -

1. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:	24281.1384 वर्ग मीटर (06 एकड़)
2. कुल निर्मित क्षेत्रफल	:	12140.569 वर्ग मीटर (03 एकड़)
3. क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	:	4046.856 वर्ग मीटर (01 एकड़)
1) बॉलीबॉल -	:	18 मी० × 9 मी० = 162 वर्ग मी०
2) खोखो -	:	29 मी० × 16 मी० = 464 वर्ग मी०
3) कबड्डी -	:	13 मी० × 10 मी० = 130 वर्ग मी०
4) बैडमिन्टन -	:	13.40 मी० × 5.8 मी० = 69.42 वर्ग मी०
5) फुटबॉल -	:	62 मी० × 32 मी० = 1984 वर्ग मी०
6) हैंडबॉल -	:	40 मी० × 20 मी० = 800 वर्ग मी०
7) बास्केटबॉल -	:	28 मी० × 16 मी० = 448 वर्ग मी०
		कुल - 4057.42 वर्ग मी०
4. कक्षाओं की संख्या -	:	45


5. प्राधानाध्यपक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष :

1. प्राचार्य कक्ष - 01 (25 फीट × 20 फीट = 500 वर्ग फीट)
2. कार्यालय कक्ष - 01 (20 फीट × 18 फीट = 360 वर्ग फीट)
3. भंडार कक्ष - 01 (20 फीट × 15 फीट = 300 वर्ग फीट)

6. बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध है ।

बालकों के लिए (20) एवं बालिकाओं के लिए (20) शौचालय उपलब्ध है ।

7. पेयजल सुविधा - दो बोरिंग की सुविधा उपलब्ध है। RO व्यवस्था के साथ उपलब्ध है।

ATTESTED BY

 PRINCIPAL
 B. A. V. PUBLIC SCHOOL
 URJANAGAR, ECL, GODDA

8. मिड-डे-मिल- लागू नहीं है ।

9. बाधारहित पहुँच पथ - उपलब्ध है ।

10. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकुद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता -
पुस्तकों की संख्या - 8,263

पुस्तकालय कक्ष - 45 फीट × 20 फीट = 900 वर्ग फीट

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं बुलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा ।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये ।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन DAYANAND ANGLO VEDIC COLLAGE TRUST AND MANAGEMENT SOCIETY रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रस्तुत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोर्ड संख्याक 20080103006 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी प्रत्रचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाये।

ATTESTED BY
Principal
D. A. V. PUBLIC SCHOOL
UNJANAGAR, ECL, GODDA

जिला शिक्षा अधीक्षक
गोड्डा